

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ
(मानित विश्वविद्यालय)

बी-4, कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110016

क्रमांक: ला.बं.शा/रा.भा./2019-2020/422

दिनांक : 23.07.2019

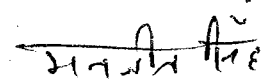
01.08.2019

कार्यालय आदेश

सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं हिन्दी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की संस्तुति तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राजभाषा प्रभाग के पत्र सं.13034-4/2018-रा.भा.ए. दिनांक 28 फरवरी 2019 मंत्रालय द्वारा दिसम्बर-2018 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करने के उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्यवाही करने एवं की गई कार्यवाही की सूचना मंत्रालय को भी भेजना सुनिश्चित किया जाए।

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु एक हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर किया जाय। ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
2. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी कागजात जैसे सामान्य आदेश, ज्ञापन, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट, नियम, करार, संविदा, टेंडर नोटिस, संसद को प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री को अनिवार्यतः हिन्दी तथा अंग्रेजी अर्थात् द्विभाषी रूप में जारी किया जाय।
3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाय।
4. हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर अनिवार्यतः हिन्दी में दिया जाय।
5. मूल पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है। वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित शतप्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यवाही की जाय।
6. हिन्दी में टिप्पणियां अधिक से अधिक लिखने का प्रयास किया जाय।

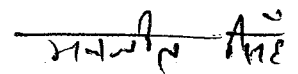
अतः विद्यापीठ के समस्त सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि पत्र पर दर्शाए गए बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें। दर्शाए गए बिन्दुओं पर अनुपालन का दायित्व अनुभाग के समस्त अधिकारियों का होगा।



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. समस्त संकाय प्रमुख, एवं विभागाध्यक्ष
2. समस्त उपकुलसचिव/ सहायक कुलसचिव/अनुभाग अधिकारी
3. संगणक विभाग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त सूचना को विद्यापीठ की वेबसाइट पर अंकित करें।
4. कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता
5. विकास विभाग/महिला अध्ययन केन्द्र/प्रकाशन विभाग/पुस्तकालयाध्यक्ष
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव



सहायक कुलसचिव (प्रशा0)